

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
**डिक्री बमुकदमें इब्तादाई**

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)  
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 37/2020



सत्यमेव जयते  
सभी जाति अराई सा. मानकसर  
तह संगरिया

1. दया सिंह
2. तारु सिंह
3. गुरदीप सिंह
4. नंद कौर पत्नी गुरबचन सिंह पुत्र रणजीत सिंह
5. जूझा सिंह पि. मु. नंद कौर पत्नी गुरबचन सिंह

पि० रणजीत सिंह

बनाम

वादीगण

1. बलजीसकौर पत्नी लालसिंह पुत्र रणजीतसिंह
2. सतनामसिंह
3. वाहेगुरु सिंह
4. जसपालसिंह
5. अमरकौर पुत्री रणजीत जाति अराई साकिन सतीपुरा
6. नोनिहालसिंह पुत्र बसन्त कौर पत्नी अजीतसिंह पुत्री रणजीत रणजीतसिंह
7. कुलदीपकौर पत्नी प्रयोतमसिंह पुत्र वसन्त कौर पुत्री रणजीतसिंह
8. मनदीपकौर पत्नी अमरीकसिंह पुत्र वसन्तकौर पत्नी अजीतसिंह पुत्री रणजीत सिंह
9. राजपालकौर पत्नी रिपुदमनसिंह पुत्र बसन्तकौर पत्नी अजीतसिंह पुत्र रणजीतसिंह
10. गुरपिन्द्रसिंह पुत्र रिपुदमनसिंह पुत्र वसन्तकौर पत्नी अजीतसिंह पुत्र रणजीतसिंह
11. रमनदीपकौर पत्नी मनदीपसिंह पुत्री रिपुदमनसिंह पुत्र बसन्तकौर पत्नी अजीतसिंह पुत्री रणजीतसिंह जाति अराई साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
12. निधानसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति अराई साकिन मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
13. हरवंशसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति अराई साकिन मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
14. अमरीकसिंह पुत्र सुखदेवसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति अराई साकिन मानकसर तहसील संगरिया
15. प्रगटसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र गोपीसिंह जाति अराई साकिन लुढाणा तहसील पीलीबंगा
16. पम्पूसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र गोपीसिंह जाति अराई साकिन लुढाणा तहसील पीलीबंगा
17. गुरतेजसिंह
18. दर्शनसिंह
19. सरवणसिंह
20. अंग्रेजसिंह
21. एस.वी.आई. बैंक शाखा लीलावाली।
22. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

पि० लालसिंह पुत्ररणजीतसिंह

सभी जाति अराई सा. मानकसर  
तहसील संगरिया

जाति अराई  
सा.मानकसर  
तह संगरिया

पि० करतारसिंह पुत्र मेघासिंह जाति नाई  
साकिनमानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 07.07.2020

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई  
 हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जांमिन मुदई  
 प्रतिवादीगण.....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार मू.अ.  
 दिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

चक 19 एमकेएस के वर्तमान जमाबन्दी की स्थिति :-

संख्या 27/32 (विवादित खाता)

- करतार सिंह पुत्र मेघसिंह 0.127 है. जाति नाई साकिन मानकसर।
- गुरदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह 0.759 है. राहिन 1/8 एसबीआई बैंक शाखा लीलावाली
- जुझार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह 0.519 है.
- तारूसिंह पुत्र रणजीत सिंह 0.329 है राहिन पीएनबी नगराना
- नन्दकौर पत्नी गुरबचन सिंह 0.190 है.
- रामसिंह पुत्र गोपीसिंह 0.316 है.
- श्याम सिंह पुत्र गोपीराम 0.316 है.
- सरजीत सिंह पुत्र साहब सिंह 0.329 है. समस्त जाति अराई सा.मानकसर दर्ज रिकार्ड है।

चक नं. 19 एम.के.एस. खाता सं. 32/31

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
158/237	48	5/0.228 है.5/2/0.025,
159/236	44	21-22/0.506 है.
159/237	49	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025 8 ता 13/1.518 है.नहरी 2.936 खाला 0.025 है. रास्ता 0.075 है. कुल 3.036 है.

चक 19 एमकेएस खाता संख्या 27/32 विवादित खाता की मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति :-

- बलजीत कौर पत्नी लालसिंह, सतनाम सिंह वाहेगुरुसिंह, फतेहसिंह, जसपाल सिंह पि. लालसिंह बहिब जाति अराई साकिन मानकसर प.न. 159/236 मु.न. 44 किला नं. 21/0.253, 22/0.126 प.न. 158/237 मु.न. 5/1/0.228 5/2/0.025 कुल रकबा 0.632 है.
- तारूसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति अराई सा.मानकसर प.न. 159/237 मु.न. 49 किला नं. 1/1/0.114, 1/2/0.012, 10/0.253, 11/0.253 कुल रकबा 0.632 है.
- जुझार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति अराई साकिन मानकसर 159/236 मु.न. 44 किला नं. 22/0.127, प.न. 159/237 मु.न. 49 किला नं. 1/1/0.114, 1/2/0.013, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.114, 3/2/0.012 प.न. 159/237 मु.न. 49 किला नं.9/0.253, 12/0.253 कुल रकबा 1.138 है.

सहायक कलेक्टर मुद्दीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति अराई साकिन मानकसर 159/237 मु.न. 49 किला नं. 3/1/0.114, 3/2/0.013, 8/0.253, 13/0.253 कुल रकबा 0.633 है.

अतः तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-प्रा. डिक्री/भूअ./2067 दिनांक 24.06.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....~~100~~ खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21/7/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



21/7/2023

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया